न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/10/2021

गुलाब मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झारौटी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 23.06.2021 प्रकरण संख्या 16/2020 सरकार बनाम गुलाब मीणा अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 06.10.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 23.06.2021 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून मौका एवं रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के तहत न्यायालय मे दिनांक 18.11.2020 को आगामी पेशी 05.01.2021 नियत की है। जब पेशी पर अपीलान्ट आया तो उसे

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

यह कहा गया कि आज तारीख नहीं है तथा पत्रावली के बाबत कोई संतोषजनक जबाब नही दिया। दिनांक 29.1.2021 को पत्रावली कार्यालय से निकालकर पुन कार्यवाही शुरू की गई जिसकी सूचना अपीलान्ट को नही दी और और ना ही कोई नोटिस दिया गया। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली के सबंध में लगातार कार्यालय में सम्पर्क करने पर भी कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। पत्रावली में बिना अपीलान्ट को सूचना दिये एकतरफा में कार्यवाही करते हुये दिनांक 23.06.2021 को आदेश पारित कर दिया जो कि उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है व काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के विरूद्व 2013–14 के राशन वितरण में अनियमितता की कार्यवाही 2020 में की गई है जो कि शिकायतकर्ता द्वारा 2015 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नकल प्राप्त कर 5 वर्ष बाद शिकायत की गई है, जिस पर भी तहत न्यायालय द्वारा कोई गौर न करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त शिकायत में जिन मृतक व्यक्तियों, पलायन करने वाले व्यक्तियों को राशन देने का आरोप है, उनके नाम राशनकार्ड में दर्ज थे। राशनकार्ड से हटाये या पलायन करने वाले व्यक्तियों को अपीलान्ट द्वारा राशन नहीं दिया गया है। तहत आदालत द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने मनमानी तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक व नियम विरूद्ध है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि जांच में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त रिकार्ड एवं उपभोक्ताओं के बयान व ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर मृतक, पलायन, दोहरे राशनकार्ड तथा फर्जी वितरण दर्शा कर 09 उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर 12.30 किग्रा. चीनी तथा 495 किग्रा. गेंहूँ के वितरण की अनियमितता पाई गई है। डीलर द्वारा वर्ष 2014–15 में मृतक उपभोक्ताओं के खाद्य सुरक्षा गेहूं 260 किग्रा, चीनी 12.30 किग्रा का फर्जी वितरण दर्शाया गया । इसी प्रकार डीलर द्वारा वर्ष 2014 व 2015 में पलायन करने वाले उपभोक्ताओं के 55 किग्रा गेहूं का फर्जी वितरण कर दुरूपयोग किया गया। वर्ष 2014–15 में ही फर्जी तरीके से 125 किग्रा गेहूं का दुरूपयोग किया गया है। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,11 व 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन है। अपीलाधीन आदेश नियमानुसार पारित किया गया है जो कि उचित है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अस्पष्ट है। निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्त्ताओं के किसी भी प्रकार के बयान आदि पृथक से नहीं लिये गये है। निरीक्षक द्वारा मौके पर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

दिनांक 28.05.2020 को बनाई गई फर्द मौका पर स्वंय डीलर के भी हस्ताक्षर नही है। निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट डीलर की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। डीलर को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु कोई मौका नही दिया गया है। जहां तक मृतक एवं पलायन उपभोक्ताओं के राशन वितरण का प्रश्न है, तो राशनकार्ड के मुखिया का यह दायित्व है कि वह मृतक व बाहर रहने वाले उपभोक्ता का नाम राशनकार्ड से डिलीट करवाकर डीलर को सूचित करे। साथ ही जिन दोहरे इन्द्राज वाले उपभोक्ताओ द्वारा अनुचित लाभ लिया गया है, वह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उन्होंने जानबूझकर गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न का गलत तरीके से उपभोग किया गया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट का दिनांक 02.12.2020 को विभागीय प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन रखते हुये निलम्बित प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है, किन्तु उसके बाद पत्रावली पर 9 तारीख पेशियां तहरीर की गई है जिसकी सूचना हेतु न तो डीलर को कोई नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उक्त किसी भी तारीख पेशी पर डीलर के उपस्थिति के हस्ताक्षर भी नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश डीलर को विना सुनवाई का अवसर दिये और उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश किसी प्रकार से समर्थन योग्य नही रहता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2021 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 06.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर